क्र. सं0	नाम एवं पदनाम	स्थिति
1.	प्रो0 महेंद्र पी लामा उपकुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	श्री के.टी. चानक्पा सचिव (प्रभारी), मानव संसाधन विकास विभाग सिक्किम सरकार	सदस्य
3.	प्रो0 मृणाल मिरी पूर्व कुलपति, एन ई एच यू	सदस्य
4.	श्री एम पी बेजबरूआ पूर्व सचिव भारत सरकार	सदस्य
5.	प्रो0 गौतम बरूआ निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	सदस्य
6.	डा0 एम आनंदकृष्णन अध्यक्ष, आई आई टी मद्रास	सदस्य
7.	श्री शिवराज सिंह निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान बनारस हिंदु विश्वविद्यालय (बी एच यू)	सदस्य
8.	श्री नावांग गोम्बु पूर्व निदेशक हिमालयन पर्वतारोही संस्थान (एच एम आई) दार्जीलिंग	सदस्य
9.	पी वी रवि रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी सिक्किम विश्वविद्यालय	सचिव
10.	डॉ0 सी बी सुनवार फेलो (शैक्षणिक), सिक्किम विश्वविद्यालय	आमंत्रित

ई सी : 03:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को व्यवस्थित कहा जाना ।

1.01 प्रो0 महेन्द्र पी लामा, उपकुलपति ने बैठक की अध्यक्षता की तथा सदन को व्यवस्थित बतलाया

ई सी : 03:02	निधन सूचनाएं

2.01 सदन ने गहरे शोक के साथ निम्नलिखित व्यक्तियों की पिछले दिनों हुई मृत्युकी घटना को नोट किया यथा -

1. श्री टाशी तोप्देन, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
2. श्री टी डब्ल्यू बारफूंग्पा, सचिव, पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार
3. श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार

2.02 कार्यकारी समिति ने तदनुसार निम्नलिखित निर्णय लिया:

"कार्यकारी परिषद ने श्री टाशी तोप्देन, पूर्व अपर मुख्य सचिव एवं सिक्किम सरकार के सलाहकार की मृत्यु पर शोक मनाने का संकल्प किया तथा पीड़ीत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त किया।"

"कार्यकारी परिषद ने श्री टी डब्ल्यू बारफूंग्पा, सचिव, पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार के दुखद निधन पर शोक मनाने का संकल्प किया तथा पीड़ीत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त किया।"

"कार्यकारी परिषद ने श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार की मृत्यु पर शोक मनाने का संकल्प किया तथा पीड़ीत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त किया।"

ई सी : 03:03	उपकुलपति का प्रेक्षण।

3.01 उपकुलपति ने सिक्किम विश्वविद्यालय के जुलाई 2007 में स्थापना से लेकर अब तक की विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों के बार में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया तथा भविष्य में ऐसी ही गतिविधियों का प्रक्षेपण किया ।

ई सी : 03:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 मार्च 2009 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

4.01 कार्यकारी परिषद की दिनांक 28.03.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त सम्मनित सदस्यों के बीच दिनांक 27 अप्रैल 2009 के पत्र के माध्यम से परिचाति किया गया था तथा इन पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी ।

4.02 कार्यकारी परिषदन ने अनुलग्नक - 1 पर यथा प्रदत्त कार्यवृत्त पर विचार किया तथा इसकी पुष्टि की ।

ई सी : 03:05	कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 मार्च 2009 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट ।

5.01 कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 मार्च 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई तथा अनुलग्नक - 2 पर यथा प्रदत्त इसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

ई सी : 03:06	शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22 मई 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया जाना (सुक्ष्म - कार्यसूची मदों सहित)

6.02 कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक परिषद की दिनांक 22 मई 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया । कार्यकारी परिषद ने बैठक के सुक्ष्म कार्यसूची मदों पर विचार किया तथा अनुलग्नक - 3 में यथा प्रदत्त प्रेक्षण किया ।

ई सी : 03:07	वित्त समिति की दिनांक 28 मई 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट करन। (सुक्ष्म - कार्यसूची मदों सहित)

7.01 कार्यकारी परिषद ने दिनांक 28 मई 2009 को आयोजित वित्त समिति बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया। कार्यकारी परिषद ने बैठक के सुक्ष्म कार्यसूची मदों पर विचार किया तथा अनुलग्नक -4 एवं अनुलग्नक -5 में यथा प्रदत्त प्रेक्षण किया ।

ई सी : 03:08	उपकुलपति द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 12(3) के अनुसार कार्यकारी परिषद की शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 मार्च 2009 को आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों की संपुष्टि एवं अनुपालन में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट करना ।

8.01 कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार की गई कार्रवाई की सुपष्टि की तथा कार्योत्तर अनुमोदन किया ।

ई सी : 03:09	उपकुलपति द्वारा शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ति पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट करना ।

9.01 कार्यकारी परिषद ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद का कार्योत्तर अनुमोदन किया ।

ई सी : 03:10	शैक्षणिक परिषद द्वारा दिनांक 22 मई 2009 की बैठक में यथा अनुशंसित अध्यादेशों के निर्माण/संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन करना ।

10.01 कार्यकारी परिषद ने निम्नलिखित पर ड्राफ्ट अध्यादेश का अनुमोदन किया :

1. शासकीय निकाय के सदस्यों की कार्य-पद्धति एवं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के प्रति नामांकित एवं सरकार द्वारा गैर अनुरक्षित किसी संस्थान के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषय, एवं

2. विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि 31(1) (iii) के अनुसार निरीक्षण की समिति के गठन हेतु प्रस्ताव

10.02 कार्यकारी परिषद के दृष्टिकोण एवं निर्णयों को अंत में अनुलग्नक - 3 में दिया गया है ।

ई सी : 03:11	शैक्षणिक परिषद की वर्त्तमान महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों के प्रति संबद्धन एवं नए संबद्धन के नीवकरण एवं नए पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुशंसाओं पर विचार एवं अनुमोदन करना।

11.01 शैक्षणिक परिषद ने महाविद्यालयों को प्रदान किए गए अनंतिम संबद्धन के समाप्ति की तारीख से एक वर्ष हेतु नवीकरण को स्वीकार तथा अनुशंसा करने का निर्णय लिया था ।

11.02 कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक परिषद के निर्णय पर विचार किया तथा कार्यसूची मद का अनुमोदन किया ।

ई सी : 03:12	श्री एस के सरकार द्वारा रजिस्ट्रार के पदभार का त्याग करने एवं रजिस्ट्रार तथा परीक्षा नियं9क के कार्यालय का पदभार श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी को सौंपे जाने की संपुष्टि करना ।

कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति द्वारा श्री एस के सरकार के रजिस्ट्रार पदभार का त्याग किए जाने एवं रजिस्ट्रार तथा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय का प्रभार श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी को सौंपे जाने में लिए गए निर्णय की संपुष्टि की ।

ई सी : 03:13	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कोई अन्य मद नहीं था ।

हस्ताक्षर
(पी वी रवि)
रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी
एवं पदेन सचिव, कार्यकारी परिषद

अनुलग्नक - 1

कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 मार्च 2009 को आयोजित किए जाने के अधिसूचित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यगण:

1. **प्रो0 महेंद्र पी लामा, उपकुलपति एवं अध्यक्ष**
2. **प्रो0 मधुर स्वामीनाथ, सदस्य**
3. **प्रो0 शिवराज सिंह, सदस्य**
4. **प्रो0 नावांग गोम्बु, सदस्य**
5. **प्रो0 एस ए सूर्यवंशी, सदस्य**

श्री एस. के . सरकार रजिस्ट्रार एवं सचिव

श्री एल पी बरफुंग्पा, निदेशक, उच्चतर शिक्षा सिक्किम सरकार ने श्री के टी चांक्पा, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठक में भाग लिया।

श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी एवं डॉक्टर सी वी सुनुवार, फेलो (शैक्षणिक), सिक्किम विश्वविद्यालय ने बैठक में भाग लिया।

ई. सी:2:01 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित होने की घोषणा ।

प्रोफेसर महेंद्र पी लामा ,उपकुलपति ने बैठक की अध्यक्षता की तथा बैठक को व्यवस्थित बतलाया ।

ई.सी.:2:02 निधन सूचना

सदन ने गहरे दुख एवं शोक के साथ निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हाल में हुई मृत्यु की सूचना को नोट किया।

1. श्री आर वेंकटरमन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति
2. श्री वी पी सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
3. राजकुमारी पेमा छेडुम याब्सी, स्व0 चोग्याल टाशी नामग्याल की सबसे बड़ी पुत्री
4. श्री काजी लेंदप दोर्जी खांगसेर्पा, सिक्किम राज्य का प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री

5. श्री एस डब्ल्यू तेन्जिंग, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
6. श्री टी एन तेनजिंग, पूर्व पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार

कार्यकारी परिषद ने श्री आर वेंकटरमन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

कार्यकारी परिषद ने श्री वी पी सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की ।

कार्यकारी परिषद ने राजकुमारी पेमा छेडुम याब्सी, स्व0 चोग्याल टाशी नामग्याल की सबसे बड़ी पुत्री के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

कार्यकारी परिषद ने काजी लेंदप दोर्जी खांगसेर्पा, सिक्किम राज्य का प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

कार्यकारी परिषद ने एस डब्ल्यू तेन्जिंग, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
कार्यकारी परिषद ने टी एन तेनजिंग, पूर्व पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

ई. सी.:02:03 सिक्किम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति के प्रति स्वागत: उप कुलपति ने सदन को सूचित किया कि भारत के राष्ट्रपति ने सिक्किम विश्वविद्यालय की विजिटर होने की क्षमता में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दिनांक 1 जुलाई 2012 की अवधि तक नियुक्त करने में प्रसन्नता व्यक्त की है । उपकुलपति ने निम्न शब्दों में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के शानदार व्यक्तित्व का परिचय दिया:

प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन टाइम पत्रिका द्वारा 20वीं सदी के 20 सर्वोत्तम प्रभावशाली एशियाई में से एक तथा भारत के मात्र तीन में से एक माना गया है, अन्य दो महात्मा गांधी तथा रविंद्र नाथ टैगोर हैं । संयुक्त

राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उन्हें "आर्थिक पारिस्थितिकि के जनक" के रूप में तथा जेवियर पेरेज डी क्वेलर, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने "एक जीवित किवदंती, जोकि इतिहास के आख्यानों में एक अद्वितीय विशिष्टिता के विश्व वैज्ञानिक के रूप में रहेंगे" माना है । वे 1980 में स्थापित यू एन विज्ञान परामर्शदायी के अध्यक्ष थे।

जिनका कार्य विएना कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई करना था । उन्होंने एफ ए ओ परिषद के स्वतंत्रत सभापति तथा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है । उन्होंने विज्ञान एवं विश्व कार्य व्यापार (2002- 7) के पुग्वास सम्मेलनों के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (2005-7) के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है । शिक्षा से पादप अनुवांशिकी, प्रोफेसर स्वामीनाथन के भारतीय कृषि पुनरोत्थान में अवदानों ने उन्हें हरित क्रांति अभियान के वैज्ञानिक नेता के रुप में सर्वाधिक प्रचलित कर दिया है । धारणीय कृषि से सतत् हरित क्रांति के उनके विचारों ने उन्हें धारणीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक सुपरिचित विश्व नेता बना दिया है । अंतराष्ट्रीय महिला एवं विकास संगठन ने उन्हें कृषि में महिलाओं के ज्ञान, शिल्प एवं तकनीकी सशक्तिकरण की प्रोन्नति के लिए उनके महत्वपूर्ण अवदानों, साथ ही कृषि एवं ग्रामीण विकास में लैंगिक अवधारणाओं को मुख्यधारा में लाने के उनके अग्रणी भूमिका के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सुशोभित किया है । प्रोफेसर स्वामीनाथन को वर्ष 1971 में समुदाय नेतृत्व हेतु रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान अवार्ड, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार एवं 2000 में पर्यावरण हेतु वोल्वो एवं टाइलर पुरस्कार शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार एवं 2000 में ही, फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट चार स्वतंत्रता मेडल तथा यूनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया था।

प्रोफेसर स्वामीनाथन भारत तथा विश्व के कई वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थानों, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एवं यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस सहित के एक फेलो हैं।

उन्होंने 58 मानद डॉक्टरेट डिग्रियां विश्व भर के विश्वविद्यालयों से प्राप्त किए हैं । वर्तमान में वह चेन्नई (मद्रास) भारत में, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन स्थित इकोटेक्नोलॉजी में यूनेस्को चेयर के धारक तथा राष्ट्रीय किसान आयोग, भारत सरकार के पूर्व अध्यक्ष हैं । वर्तमान में वह भारत के संसद (राज्यसभा) के

सदस्य हैं जिस पर उन्होंने भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अति विशिष्ट वैज्ञानिक अवदानों की पहचान के लिए नामित किया गया ।

कार्यकारी परिषद द्वारा प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति का स्वागत किया गया है तथा आशा व्यक्त की गई कि उनके पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन द्वारा विश्वविद्यालय सर्वथा लाभान्वित रहेगा ।

ई.सी.: 2:04 उप कुलपति द्वारा प्रेक्षण

उपकुलपति ने सदन की जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण दिया: उप कुलपति का प्रस्तुतीकरण अनुलग्नक 2.04 पर दिया गया है ।

ई.सी.: 2:05 कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

[कार्यसूची टिप्पणी

कार्यवृत्त दिनांक 1 सितंबर 2008 के पत्र संख्या एस यू/ई सी -1/कोर/08 के तहत सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था सदस्यों से कार्यवृत्त के ऊपर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी]

कार्यकारी परिषद ने दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा इस अभियुक्ति के साथ इसकी पुष्टि की कि चूंकि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के अनुसार उपकुलपति प्रथम अध्यादेशों को जारी करने के लिए अधिकृत है।

तदनुसार,वे आगे बढ़ सकते हैं । परिणामस्वरुप दिनांक 8 अगस्त 2008 की मद संख्या ई सी:01:08 के अंतर्गत दिया गया कार्यवृत्त निरस्त हो गया।

कार्य सूची मद संख्या ई.सी.:01:08 के अंतर्गत पृष्ठ 15 में अंतिम वाक्य " इन सुझावों के साथ, परिषद ने उपकुलपति को अध्यादेशों के अंतिम पाठ को एमएचआरडी को प्रेषित करने की सलाह दी " से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

ई.सी.:02:06 कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट ।

[कार्यसूची मद टिप्पणी
अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सदन-पटल पर रखी जाएगी]

कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पटल पर रखी गई तथा इसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया, यथा **अनुलग्नक-2.06**

ई.सी.:02:07 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त को नोट करना तथा इन पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी:
कार्यवृत्त अनुलग्नक2.7 के रूप में संलग्न है।]

कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक परिषद की दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा अनुलग्नक 2.07 पर यथा संलग्न इस पर विचार एवं स्वीकार किया गया।

यद्यपि प्रथम अध्यादेशों से संबंधित विषयों पर उपकुलपति सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30(2 के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकते हैं।

ई.सी.:02:08 वित्त समिति की दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट करना तथा इस पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी:
कार्यवृत्त अनुलग्नक2.08 के रूप में संलग्न है]

कार्यकारी परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा अनुलग्नक 2.08 पर यथा प्रस्तुत पर विचार एवं स्वीकार किया।

वित्त समिति द्वारा यथास्वीकृत कार्यकारी परिषद ने -

(क) वर्ष 2008-9 एवं 2009-10 हेतु वार्षिक बजट का अनुमोदन करने

(ख) वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक लेखाओं का इस सुझाव के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया कि बजट एवं लेखाएं कार्यकारी परिषद की कोरम के साथ अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किए जाएंगे।

ई.सी.:02:09 सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के अनुसार नई/ अतिरिक्त सांविधि बनाए जाने का प्रस्ताव पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी:

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29 विश्वविद्यालय की सांविधि बनाने की शक्ति से संबंधित है। धारा को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्दत किया गया है:]

उद्धहरण

29. (1) प्रथम संविधि वे हैं जिन्हें अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) कार्यकारी परिषद समय-समय पर, नई अथवा अतिरिक्त सांविधि बना सकता है, अथवा संशोधन कर सकता है अथवा उपधारा (1) में संदर्भित सांविधियों को निरस्त कर सकता है:

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के अवस्था, शक्तियों एवं संगठन को तब तक बना, संशोधन अथवा निरस्त नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपना लिखित राय व्यक्त करने का अवसर ना दिया गया हो, तथा इस प्रकार व्यक्त की गई कोई राय कार्यकारी परिषद द्वारा की गई मानी जाएगी ।

(3) प्रत्येक नई सांविधि अथवा सांविधि में योजन अथवा कोई संशोधन अथवा किसी सांविधि का निरस्तीकरण के लिए विजिटर की सहमति वांछनीय होगी, जो कि अपनी सहमति दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं अथवा कार्यकारी परिषद को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं।

(4)कोई नई सांविधि उनका किसी वर्तमान सांविधि को संशोधित अथवा निरस्त करते हुए कोई सविधि कोई वैधता तब तक नहीं रखेगी, जब तक इस पर विजिटर की सहमति प्राप्त नहीं होती है ।

(5) उपरोक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, विजिटर अधिनियम लागू होने के तत्काल 3 वर्षों की अवधि के दौरान, नई अथवा अतिरिक्त संविधि बना सकते हैं अथवा उपधारा (1) में संदर्भित सांविधियों में सुधार अथवा निरस्त कर सकते हैं :

बशर्ते कि विजिटर, उपरोक्त 3 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष के अंदर ऐसी विस्तृत संविधि बना सकते हैं, जैसा कि आवश्यक मानते हैं तथा ऐसी विस्तृत सांविधि संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी।

(6) ऊपर कथित रूप धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, विजिटर उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में सांविधि में प्रावधान करने का निर्देश दे सकते हैं , एवं यदि कार्यकारी परिषद ऐसे निर्देशों का इसकी प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुपालन करने में अक्षम रहता है तो विजिटर कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन ना कर पाने की अपनी असमर्थता पर दिए गए कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात संविधि बन अथवा पर्याप्त रूप से संशोधित कर सकते हैं ।

उद्धहरण समाप्त

निम्नलिखित ड्राफ्ट नई/ अतिरिक्त सांविधि, कार्यकारी परिषद के विचारार्थ, सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 29(2) के अनुसार नई /अतिरिक्त सांविधियों के निर्माण के लिए तथा इन पर विजिटर का सहमति हेतु उन्हें धारा 29(3) के अनुसार प्रेषित किए जाने के लिए प्रस्तुत की गई।

(क) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धाराएं 10(9), (19) एवं (28) सी के तहत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों पर नई सांविधि

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालय के अधिकारीगण होंगे:

1. कुलपति
2. उप कुलपति
3. प्रो-वाइस चांसलर
4. स्कूलों के डीन
5. रजिस्ट्रार
6. वित्त अधिकारी
7. परीक्षा नियंत्रक
8. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं
9. ऐसे अन्य अधिकारीगण, जिन्हें सांविधि द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाता है ।

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार नियुक्ति का तरीका तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य सांविधियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । अधिनियम की धारा 28(सी) के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों की शर्त पर, सांविधियां निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी विषयों के लिए, नामत: नियुक्ति विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं उनकी परिलब्धियां प्रावधान कर सकती हैं ।

उपरोक्त की दृष्टि से सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धाराएं 10 (9), (19) एवं 28(सी) के तहत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों पर ड्राफ्ट नई सांविधियां कार्यकारी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की है एवं अनुलग्नक 2.09 (क) के रूप में संलग्न है।

(ख) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 28 (सी) के तहत विश्वविद्यालय के स्कूलों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं समापन पर अतिरिक्त सांविधियां

अधिनियम की धारा 28(सी) के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंधों की शर्त पर, सांविधियां निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी विषयों पर प्रावधान कर सकती है नामत:

स्कूलों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं समापन।
सिक्किम विश्वविद्यालय की अनुसूची में यथा प्रदत्त विश्वविद्यालय की प्रथम सांविधियों की सांविधि 15 नीचे उद्दत की जाती है:

उद्धहरण

15 (1) विश्वविद्यालय के पास अध्ययनों के ऐसे स्कूल होंगे, जैसा की सांविधियों में निर्धारित किया गया हो

(2) प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल बोर्ड होगा तथा प्रथम स्कूल बोर्ड के सदस्य गण कार्यकारी परिषद द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए नामित किए जाएंगे ।
(3) किसी स्कूल बोर्ड संगठन, शक्तियों एवं कर्तव्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।
(4) किसी स्कूल बोर्ड की बैठकों का संचालन एवं ऐसी बैठकों के लिए वांछित कोरम अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
(5) प्रत्येक स्कूल में ऐसे विभाग होंगे, जैसा की अध्यादेश के द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट किया जाए।

बशर्ते की कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर, अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है जिसमें विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक लगाए जा सकते हैं, जैसा कि कार्यकारी परिषद आवश्यक समझता है ।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य गण होंगे नामतः-

(i) विभाग के शिक्षकगण
(ii) विभाग में अनुसंधान संचालित कर रहे व्यक्तिगण
(iii) स्कूल का डीन
(iv) मानद प्रोफेसर्स यदि कोई विभाग से संबद्ध हो
(v) एवं ऐसे अन्य व्यक्तिगण, को जोकि अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों

उद्धहरण समाप्त

उपरोक्त के आलोक में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 28 (सी) के तहत विश्वविद्यालय के स्कूलों, विभागों, केंद्रों हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं समापन पर ड्राफ्ट अतिरिक्त संविधि कार्यकारी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की गई एवं अनुलग्नक 2.09 (ख) के साथ रूप में संलग्न की गई।

उपरोक्त पर विधिवत विचार के पश्चात,

क) कार्यकारी परिषद -

1) निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (क) में यथा संलग्न ड्राफ्ट नई सांविधि का अनुमोदन किया जाए ।
2) आगे निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (ख) में यथा संलग्न संविधि 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5), 43(6), 43(7), 43(8), 43(9), 43(10), 43(11) एवं 43(12) का निर्माण सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के अनुसार किया जाए।
3) आगे निर्णय लेता है कि कथित सांविधि 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5), 43(6), 43(7), 43(8), 43(9), 43(10), 43(11) एवं 43(12) सम्माननीय विजिटर को सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(3) के अनुसार उनकी सहमति लेने के लिए प्रेषित किया जाए।

(ख) कार्यकारी परिषद -

1) निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (ख) में यथा संलग्न ड्राफ्ट नई सांविधियों का अनुमोदन किया जाए ।
2) आगे निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (ख) मे यथा संलग्न सांविधि 15 (1) का निर्माण सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के अनुसार किया जाए।
3) आगे निर्णय लेता है कि उक्त सांविधि15 (1) को सम्मानित विजिटर के प्रति सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(3)के अनुसार उनकी सहमति हेतु अग्रेषित किया जाए।

ई.सी.:02:10 परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एवं उनके अधिकार तथा कर्तव्यों सहित सेवा शर्तों के लिए नियमावली

[कार्यसूची टिप्पणी:
सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी तथा वे ऐसी शक्तियों का उपभोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा की सांविधियों में निर्धारित है।

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में यथा प्रदत्त विश्वविद्यालय की प्रथम सांविधियों की सांविधि 8 नीचे उद्दत है :

उद्धहरण

8(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित किसी चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होंगे ।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाएगी तथा वे पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य होंगे

(3) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां एवं अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसा की कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएंगी :

बशर्ते की परीक्षा नियंत्रक, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं

बशर्ते कि परीक्षा नियंत्रक, उनकी 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी, कार्यालय में निरंतरता बनी रहेगी, जब तक कि उनके परवर्त्ती की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है तथा कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेते हैं अथवा समाप्ति से 1 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय रिक्त हो जाता है अथवा जब परीक्षा नियंत्रक, अस्वस्थता के कारण या अन्य किसी कारण से अपना कार्यालयी कार्य करने में अक्षम हो जाता है, कार्यालय कामकाज ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित होगा, जैसा की कुलपति इस उद्देश्य से नियुक्त करें ।

(5) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा की व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण उस प्रकार करें, जैसा की अध्यादेश में निर्धारित हो।

उद्धरण समाप्त

इस दृष्टि से ऊपर वर्णित सांविधि के अलावा निम्नलिखित नियमावली, परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु, कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं स्वीकार्यता के लिए प्रस्तावित की जाती है ।

1. नियुक्ति :

a) अर्हता: पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित होगी, जैसा की कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार किया जाए।

b) नियुक्ति की विधि: नियुक्ति की निम्नलिखित विधि, जैसा कि उपकुलपति उचित समझे, उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के लिए अनुसरण की जाए जैसा कि उस कालखंड में लागू हो।
   1. नियमित /संविदा जन्य नियुक्ति सहित सीधी भर्ती
   2. प्रतिनियुक्ति /बाह्य सेवाएं

c) परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एक खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी, अथवा ऐसी विधि से जो कि उपकुलपति द्वारा अनुमोदित हो ।

d) सिक्किम विश्वविद्यालय के वे शिक्षक एवं अधिकारीगण, जो इस पद के लिए नियुक्ति के योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस मामले में, इसे विश्वविद्यालय के नियमानुसार उस पद पर लियेन प्रतिधारित करने की सुविधा सहित प्रतिनियुक्ति मानी जाएगी, जिसे वे विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर धारित करते हैं।

e) चयन समिति का संगठन निम्नानुसार निर्धारित होगा :

उपकुलपति	:अध्यक्ष
कार्यकारी परिषद का एक सदस्य इनके द्वारा नामित	:सदस्य
दो ऐसे व्यक्तिगण जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है, तथा विषय का अथवा प्रशासन काविशेष ज्ञान रखते हैं, एवं कार्यकारी परिषद द्वारा नामित	:सदस्यगण

रजिस्ट्रार, यद्यपि समिति का सदस्य नहीं, इसके सचिव के रुप में कार्य करेंगे ।

टिप्पणी:- उपकुलपति अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रो-वाइस चांसलर चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बशर्ते की चयन समिति की बैठक कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों के परामर्श से अथवा उनकी सुविधा की शर्त्त पर निर्धारित की जाती है ।

बशर्ते की चयन समिति की कार्यवाही तब तक वैध नहीं होगी, जब तक की वह कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों में से दो इसमें भाग नहीं लेते हैं ।

2. सेवा की शर्तें :

a) जहां ऊपर निर्धारित नियुक्ति की कोई भी विधि अपनाई जाती है, निम्नलिखित संगठनों में से किसी में नियोजित व्यक्तिगण, उनके मातृ संगठन द्वारा अनुमोदन की शर्त पर, मातृ संगठन में अपने लिएन को 5 वर्षों के संपूर्ण कार्यकाल के लिए अनुमति प्राप्त होगी:

(i) केंद्र अथवा राज्य सरकार
(ii) स्वशासित निकाय (केंद्र अथवा राज्य), विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालय (केंद्र अथवा राज्य) सहित
(iii) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान
(iv) कोई अन्य संगठन, जैसा की कार्यकारी परिषद इस खंड में व्याप्त होने के लिए घोषित करें

लिएन दूसरे कार्यालय हेतु नियुक्ति के मामले में समाप्त योग्य होगा।

b) यदि चयनित व्यक्ति सिक्किम विश्वविद्यालय में कोई पद अथवा किसी पद पर लियेन प्रतिधारित करता है , उनकी नियुक्ति हेतु अनुमोदन में आरंभिक कार्याकाल के लिए लियेन प्रतिधारण हेतु कार्यकारी परिषद की सहमति सन्निहित होगी ।

c) परीक्षा नियंत्रक उस कैलेंडर माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होंगे, जिसमें वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करता है । यद्यपि, यदि उसकी जन्म तारीख कैलेंडर माह की पहली तारीख होती है, तो वह उस माह के पूर्व के कैलेंडर माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होंगे। जिसमें की वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं ।

d) सांविधियों में निर्धारित कर्तव्यों के अतिरिक्त, परीक्षा नियंत्रक ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन/कार्य करेंगे, जैसा कि उपकुलपति/ कार्यकारी परिषद समय-समय पर निर्धारित करते हैं ।

e) परीक्षा नियंत्रक के ऊपर उपकुलपति एवं कार्यकारी परिषद की अनुशासनिक शक्तियों को के प्रयोग को निम्नलिखित विनियमित करेगा:

a) इस प्रश्न के तथ्य निर्धारण के उद्देश्य से की कदाचार क्या है, परीक्षा नियंत्रक गैर शिक्षण कर्मचारियों पर लागू प्रावधानों के लिए समान होंगे।
b) अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन, परीक्षा नियंत्रक के निलंबन एवं उन पर दंड लगाने की शक्तियों का प्रयोग के उद्देश्य से, उनकी समानता प्रोफेसर के पद के साथ की जाएगी।

f) परीक्षा नियंत्रक, अपने 5 वर्षों के पूर्ण कार्यकाल के दौरान अधिकतम 3 महीने की अवधि हेतु वेतन रहित अति विशेष छुट्टी चिकित्सा आधार पर अथवा अन्यथा स्वयं उपयोग करने के अधिकृत होंगे । अति विशेष छुट्टी की स्वीकृति कार्यकारी परिषद द्वारा या तो

अग्रिम रुप से या कार्योत्तर मंजूरी के रूप में दी जाएगी । 5 वर्षों से कम के कार्यकाल के लिए आनुपातिक अति विशेष छुट्टी उपलब्ध होगी ।

g) यदि अभ्यर्थी किसी अन्य संगठन (सरकारी अथवा अर्धसरकारी अथवा निजी) से पेंशन प्राप्त कर रहा है, ना तो पेंशन और ना ही पेंशन के समतुल्य ग्रेच्युटी की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान योग्य परिलब्धियां से की जाएगी ।

h) सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में जहां नियुक्त किया गया अधिकारी दूसरे संगठन में किसी पद पर लियन प्रतिधारित करता है, वह अपने मातृ संगठन की सेवानिवृत्ति लाभ योजना के द्वारा शासित होते रहेंगे । विश्वविद्यालय ऐसे पेंशन अवदान अथवा सी पी एफ के प्रति प्रबंधन अवदान, जैसा कि मामला हो का भुगतान करेगा, जैसा कि मातृ संगठन की नियमावली में निर्धारित हो ।

i) जहां कार्यकारी परिषद संतुष्ट है कि इन नियमावली के किसी प्रावधान के प्रचालन में सेवा लाभों के प्रति देयता के मामले में अविवादित परिस्थितियों में अनावश्यक अवरोध पैदा करता है, अथवा मेघावी व्यक्तियों की सेवा सुनिश्चित करने के अवसर में पूर्वाग्रह पैदा करता है, तो यह संकल्प के द्वारा, कारणों को विधिवत समाविष्ट करते हुए नियमावली में उस सीमा तक छूट अथवा ढील दे सकता है, जहां तक की इक्विटी के अनुसार आवश्यक समझा जाए एवं ऐसी अनुकूल व्यवस्था के लिए किसी भी शर्त को निर्धारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां छूट भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताओं के मामले में अथवा अन्य किन्ही कारणों से प्रदान की जाती है, जोकि चयन की प्रक्रिया के प्रति निर्णायक है, यह निश्चित रूप से निम्नलिखित पूर्व अनिवार्यताओं की पूर्ति की शर्त पर होगी:

(1) यह विश्वविद्यालय की नियमावली में छूट हेतु समर्थक प्रावधान उपलब्ध है कि तथ्य को रोजगार सूचना में प्रमुखता से उल्लेख किया जाए।

(2) चयन समिति छूट हेतु शुस्पष्ट अनुशंसा करती है।

(3) कार्यालयी अभिलेख जिनमें छूट हेतु कारण निहित है, की घोषणा स्थाई व्यवस्था द्वारा एक लोक दस्तावेज प्रति के रूप में की जाती है, जिसे चयन हेतु किसी अभ्यर्थी को रजिस्ट्रार द्वारा नेमी प्रक्रिया में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति के बिना उपलब्ध करवाया जाएगा।

j) परीक्षा नियंत्रक छुट्टी, छुट्टी वेतन, भत्ते, भविष्य निधि एवं अन्य लाभों के लिए अधिकृत होंगे, जैसा कि इनके पक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए उन अंतर्वेशन एवं बहिष्करण को छोड़ कर निर्धारित करता है , जैसा की कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर किया जाए ।

k) परीक्षा नियंत्रक ऐसे आवधिक लाभ एवं भत्ते के लिए अधिकृत होंगे, जैसा की कार्यकारी परिषद /केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाए।
बशर्ते कि जहां विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा इसके विशेषाधिकार में नामांकित किसी संस्थान अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय अथवा ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा इसके विशेषाधिकार में नामांकित किसी संस्था का कोई कर्मचारी परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें किसी भविष्य निधि के प्रति अवदान करने की अनुमति प्राप्त होगी, जिसका कि वह एक सदस्य है तथा विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखा में उसी दर से अवदान करेगा, जिस दर से वह व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अवदान करता रहा था। आगे बशर्ते कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पैंशन योजना का सदस्य था, विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अवदान करेगा ।

l) विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को उनके कार्यालयी उपयोग के लिए एक छोटा वाहन उपलब्ध कराएगा ।

m) इन नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, इन प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त परीक्षा नियंत्रक ऐसी सेवा की अन्य शर्तों द्वारा शासित होगा, जैसा की कार्यकारी परिषद निर्दिष्ट करें।

उपरोक्त पर विधिवत चर्चा के बाद, कार्यकारी परिषद ने परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्य सहित सेवा की शर्तों के लिए आवश्यक संशोधन के साथ अनुलग्नक 2.10 में यथा संलग्न नियमावली को निर्धारित करने का निर्णय लिया।

ई.सी.:02:11 शिक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 16 फरवरी 2009 के अ.स.सं0 एफ 24-33/2009(सी यू) के अंतर्गत पत्र के माध्यम से प्रोफेसरों के 29 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 68 पद एवं सहायक प्रोफेसर के 104 पद सहित विश्वविद्यालय के लिए 11वीं योजना के अंतर्गत शिक्षण कर्मचारियों के 201 पदों की स्वीकृति की सूचना दी है । इन पदों के लिए विभागवार विवरण अनुलग्नक 2.11 में दिया गया है ।

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की सांविधि 12(2)(i) के अनुसार, कार्यकारी परिषद को, अन्य बातों के अलावा, शिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक पदों को सृजित करने, ऐसे पदों की संख्या एवं परिलब्धियां निर्धारित करने तथा प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

बशर्ते की कार्यकारी परिषद द्वारा शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या एवं अर्हता के संबंध में तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक की अन्यथा शैक्षणिक परिषद द्वारा विचार एवं अनुशंसाएं की गई हो।

विश्वविद्यालय अब तक अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन बिना किसी नियमित शिक्षण पदों के कर रहा है। अब जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वी योजना के अंतर्गत 201 पदों को स्वीकृति दे दी है, कार्यकारी परिषद कृपापूर्वक अनुलग्नक2.11 के अनुसार 201 शिक्षक पदों के सृजन को अनुमोदित करें बशर्ते की वित्त समिति
एवं शैक्षणिक परिषद को सूचित किया जाता है एवं उनसे अनुशंसाएं प्राप्त होती है।]

उपरोक्त पर विधिवत विचार करने के बाद, कार्यकारी परिषद ने अनुलग्नक 2.11 में यथा प्रदत्त 201 शिक्षक पदों के सृजन को वित्त समिति एवं शैक्षणिक परिषद को सूचित किए जाने एवं उनसे अनुशंसा प्राप्त होने की शर्त पर अनुमोदन करने का निर्णय लिया । यद्यपि, कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2008 के कार्यसूची मद संख्या 1:04 के तहत पूर्व में दी गई स्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं होगा, जबकि नवसृजित 201 पदों को प्रभावित किया जाता है ।

कार्यकारी परिषद ने आगे नोट किया कि विश्वविद्यालय को गुणता शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में एकीकृत ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू करने में अतिरिक्त शिक्षक पदों की आवश्यकता होगी। परिषद ने ऐसे अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया, जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए वर्तमान योजना अविधि में अथवा योजना अवधि के तुरंत बाद आवश्यक होगा।

ई.सी.:02:12 गैर शिक्षक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11वीं योजना के अंतर्गत 320 गैर शिक्षण पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इन गैर शिक्षण पदों का विवरण अनुलग्नक2.12 में दिया गया है। यूजीसी द्वारा शीघ्र स्वीकृति की अपेक्षा की जाती है । विश्वविद्यालय की सांविधि 12(2)(iv) के अनुसार, कार्यकारी परिषद को, अन्य बातों के अलावा, प्रशासनिक, सचिवीय एवं अन्य आवश्यक पदों (अध्यक्ष सहित) को सृजित करने एवं अध्यादेशों में निर्धारित तरीकों से उन पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है ।

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद अनुलग्नक 2.12 के अनुसार 320 गैर शिक्षण पदों के सृजन का कृपापूर्वक अनुमोदन करें]

उपरोक्त पर विधिवत विचार के बाद एवं यह विचार करते हुए की गैर शिक्षण पदों की स्वीकृति की सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होगी, कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति को उन गैर शिक्षण पदों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया , जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

यद्यपि, कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2008 के कार्यसूची मद संख्या 01:05 के तहत पूर्व में दी गई स्वीकृत का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावित गैर शिक्षण पदों का सृजन किया जाएगा एवं प्रभावी किया जाएगा ।

ई.सी.:02:13 पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु चयन समिति की सदस्यता के प्रति व्यक्तियों को नामित करने का प्रस्ताव पर विचार करना ।

[कार्यसूची टिप्पणी:
विश्वविद्यालय की सांविधि 18 (1) एवं 18 (2) के अनुसार, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती के प्रति चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(1) उपकुलपति
(2) विजिटर द्वारा नामित
(3) दो ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है तथा उन्हें पुस्तकालय विज्ञान/ पुस्तकालय प्रशासन के विषय में विशेष ज्ञान है, एवं कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया गया हो।
(4) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित परंतु विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं एक व्यक्ति।

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती हेतु उल्लेखित चयन समिति के प्रति संबंधित व्यक्तियों को नामित करें]

कुछेक नामों पर विचार किया गया । तत्कालिकता की दृष्टि से एवं यह विचार करते हुए की नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा एवं सहमति आवश्यक है, उपकुलपति को कार्यकारी परिषद के पक्ष में उचित व्यक्तियों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया।

ई.सी.:02:14 परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति की सदस्यता के प्रति व्यक्तियों को नामित करने के प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

परीक्षा नियंत्रक पर प्रस्तावित नियमावली के अनुसार, परीक्षा नियंत्रक के पद पर भर्ती हेतु चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:

- ***उपकुलपति :अध्यक्ष***
- ***कार्यकारी परिषद का एक सदस्य इनके द्वारा नामित :सदस्य***
- ***दो ऐसे व्यक्तिगण जो विश्वविद्यालय की सेवा में***

नहीं है, तथा विषय का अथवा प्रशासन काविशेष ज्ञान
रखते हैं, एवं कार्यकारी परिषद द्वारा नामित :सदस्यगण

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद कृपापूर्वक परीक्षा नियंत्रक के पद पर भर्ती हेतु चयन समिति के प्रति ऊपर उल्लेखित संबंधित व्यक्तियों को नामित करें]

कुछेक नामों पर चर्चा की गई । तत्कालिकता की दृष्टि से एवं यह विचार करते हुए की नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा एवं सहमति आवश्यक होगी, उपकुलपति को कार्यकारी परिषद के पक्ष में उचित व्यक्तियों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

ई.सी.:02:15 विश्व विद्यालय की सांविधियों की सांविधि 42 के अनुसार कार्यकारी परिषद के प्राधिकार का विश्वविद्यालय के आरंभिक चरणों में सुचारु रुप से संचालन हेतु किन्ही संकटकालीन एवं अनिवार्य मुद्दों पर प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव पर विचार करना ।

[कार्यसूची टिप्पणी:

सांविधि 42 के अनुसार, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी अपने अंतर्गत अथवा उनके संबंधित नियंत्रण के किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी कि इस शर्त पर अपनी अथवा इनकी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है कि इस प्रकार से प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग करने का समग्र उत्तरदायित्व उन्हीं अधिकारी अथवा में निहित रहेगा , जो ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हैं ।

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद अपनी शक्तियों में से कुछ उपकुलपति को संकटकालीन प्रकृति के निर्दिष्ट मुद्दों पर प्रत्यायोजित करने पर विचार करें]

मुद्दे पर विधिवत विचार विमर्श के बाद इस बात पर विचार करते हुए की विश्वविद्यालय को निर्माण की अवस्था में होने के कारण शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए तत्काल कार्रवाई करना है , कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति को पदों को विज्ञापित करने, चयन समितियों का गठन करने, विशेषज्ञों को नामित करने तथा चयन समितियों की सर्वसम्मत अनुशंसाओं को अनुमोदित करने सदृश्य भर्ती हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा इस संबंध में आगे निर्णय लेने तक के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया, साथ ही उप कुलपति द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई को कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में इनके सूचनार्थ रखने का निर्णय लिया गया ।

ई.सी.:02:16 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

(क) कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि सिक्किम एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण, राज्य में विदेशियों के प्रवेश हेतु औपचारिकताओं की कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य है । चूंकि विश्वविद्यालय में गुणता शिक्षा प्रदान करने में पर्याप्त संख्या में विदेशों से विद्वानों, शिक्षाविदों एवं छात्रों का प्रवेश संलग्न है, अतः कार्यकारी परिषद में भारत सरकार एवं सिक्किम सरकार से विश्वविद्यालय के राज्य एवं देश के बृहत्तर हित में विदेश से विद्वानों, शिक्षाविदों एवं छात्रों का प्रवेश सुविधागम्य बनाने में उचित कदम उठाने के लिए अनुरोध किया।

(ख) कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि यांग्यांग स्थित विश्वविद्यालय के स्थाई कैंपस हेतु भूमि सिक्किम सरकार द्वारा अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है। सिक्किम विश्वविद्यालय ने सिक्किम सरकार के प्रति भूमि अधिग्रहण के लिए वांछित रू0 30 करोड़ के आकलित लागत में भारत सरकार की भागीदारी के 50% रुपये 15 करोड़ पहले ही उपलब्ध करवा दिया है । क्योंकि 11वी योजना में से 2 वर्ष अब तक बीत चुके हैं, कार्यकारी परिषद ने सिक्किम सरकार से यांग्यांग में प्रस्तावित भूमि के यथाशीघ्र हस्तानांतरण हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया है । कार्यकारी परिषद ने चिंता व्यक्त की कि आवंटित धन यदि समय से नहीं व्यय किया गया तो अन्य राज्यों को अपवर्तित किया जा सकता है , जहां नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं । विश्वविद्यालय प्रशासन को भी भूमि के लागत की भारत सरकार की भागीदारी की पूर्ण राशि सिक्किम सरकार को जारी करने की सलाह दी गई , ताकि शीघ्र अधिग्रहण एवं भूमि हस्तांतरण में सुविधा हो सके ।

(ग) कार्यकारी परिषद में वित्त समिति की दिनांक 8/02/2009 को आयोजित बैठक की विश्वविद्यालय के शहरी कैंपस हेतु गंगटोक स्थित भूमि की खरीद के संबंध में उठाई गई आपत्तियों को नोट किया। कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि यह सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी होगा । यद्यपि, विषय की अनिवार्यता पर एवं इस बात पर विचार करते हुए की यांग्यांग स्थित स्थाई कैंपस भूमि अभी भी हस्तांतरित किया जाना है , कार्यकारी परिषद ने गंगटोक में करीब 5 से 10 एकड़ भूमि खंड के शीघ्र प्रापन के अपने पक्ष पर , यहां तक कि विश्वविद्यालय निधि द्वारा भुगतान किए जाने की शर्त पर बल दिया तथा वित्त समिति से इस मुद्दे पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया ।

विचार विमर्श हेतु अन्य कोई विषय नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त घोषित हुई।

(एस.के. सरकार)
रजिस्ट्रार
सिक्किम विश्वविद्यालय एवं सचिव कार्यकारी परिषद

मद संख्या	मदें	निर्णय का सार संक्षेप	की गई कार्रवाई
ई.सी.:02:01	उपकुलपति द्वारा बैठक व्यवस्थित कहा जाना	उपकुलपति ने बैठक की अध्यक्षता की एवं बैठक को व्यवस्थित बतलाया	नोट किया गया
ई.सी.:02:02	निधन सूचना	परिषद ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति के निधन पर शोक मनाया: 7. श्री आर वेंकटरमन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति 8. श्री वी पी सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 9. राजकुमारी प्रेमा छेडुम याब्सी, स्व0 चोग्याल टाशी नामग्याल की सबसे बड़ी पुत्री 10. श्री काजी लेंडप दोर्जी खांग्शेर्पा, सिक्किम राज्य का पूर्व एवं प्रथम मुख्यमंत्री 11. श्री एस डब्ल्यू तेनजिंग, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार 12. श्री टी एन तेन्जिंग, पूर्व पुलिस महानिदेशक सिक्किम सरकार	नोट किया गया
ई.सी.:02:03	सिक्किम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति का स्वागत	कार्यकारी परिषद ने प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति का स्वागत किया तथा आशा व्यक्त किया कि उनके पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व द्वारा नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय अति लाभान्वित होगा ।	नोट किया गया
ई.सी.:02:04	उपकुलपति का प्रेक्षण	उपकुलपति ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया	नोट किया गया

ई.सी.:02:05	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	कार्यकारी परिषद ने 8 अगस्त 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा इस प्रेक्षण के साथ इसकी पुष्टि की की चूंकि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के अनुसार उपकुलपति प्रथम अध्यादेशों को बनाने के लिए अधिकृत है। अतः उन्हें तदनुसार आगे कार्रवाई करनी चाहिए । परिणामवश, मद संख्या इ.सी:1:08 दिनांक 8 अगस्त 2008 के अंतर्गत दिया गया कार्यवृत्त निरर्थक हो गया। कार्य सूची मद संख्या इ.सी:1:08 के अंतर्गत वरिष्ठ 15 में अंतिम वाक्य "इन सुझावों के साथ परिषद ने कुलपति को अध्यादेशों के अंतिम पाठ को एमएचआरडी को पृष्ठांकित करने का सलाह दिया" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।	नोट किया गया एवं तदनुसार कार्यवृत्त में संशोधन किया गया।
ई.सी.:02:06	कार्यकारी परिषद की 8 अगस्त 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट	कार्यकारी परिषद की 8 अगस्त 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत की गई एवं इसे स्वीकार किया गया।	नोट किया गया
ई.सी.:02:07	शैक्षणिक परिषद की 17 अक्टूबर 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट करना, तथा इस पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना	कार्यकारी परिषद ने दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया एवं इस पर विचार एवं स्वीकार किया। यद्यपि प्रथम अध्यादेशों से संबंधित विषय पर उपकुलपति सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के अनुसार अगली कार्रवाई कर सकते हैं	नोट किया गया प्रथम आठ अध्यादेश उपकुलपति द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के अनुसार बनाए गए थे , तथा इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया । अनुमोदन अपेक्षित है

ई.सी.:02:08	वित्त समिति की दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट करना तथा इस पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना।	कार्यकारी परिषद ने दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा इस पर विचार कर स्वीकार किया। वित्त समिति द्वारा यथा स्वीकृत कार्यकारी परिषद ने निर्णय लिया कि- (ग) गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु वार्षिक बजट का अनुमोदन किया जाए (घ) वर्ष 2007-8 की वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन इस सुझाव के साथ किया जाए कि बजट एवं लेखाओं को कार्यकारी परिषद की कोरम के साथ आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए	नोट किया गया वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु बजट एवं लेखाओं का कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ पुनः प्रस्तुत किया गया । बजट एवं लेखाओं की प्रतियां सदस्यों के बीच दिनांक 28.5 .2009 के बैठक की कार्यसूची कागजातों के साथ-साथ पहले ही परिचालित की गई।
ई.सी.:02:09	सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के अनुसार नई /अतिरिक्त सांविधियां बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना	कार्यकारी परिषद ने नई /अतिरिक्त सांविधियों का अनुमोदन किया तथा इसे विजिटर की सहमति प्राप्त करने के लिए भेजे जाने की सलाह दी	नोट किया गया नई /अतिरिक्त सांविधियां विजिटर की सहमति हेतु प्रेषित की गई । सहमति अपेक्षित है ।
ई.सी.:02:10	परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एवं अधिकार तथा कर्तव्यों सहित सेवा शर्तों के लिए नियमावली	कार्यकारी परिषद ने यह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति एवं अधिकार तथा कर्तव्यों सहित सेवा शर्तों पर नियमावली का अनुमोदन किया	नोट किया गया। सी. ओ.ई के पद पर नियुक्ति दिनांक 28 मार्च 2009 को आयोजित कार्यकारी परिषद द्वारा प्राधिकरण के अनुसार उपकुलपति के अनुमोदन के साथ की गई ।
ई.सी.:02:11	शिक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जाना	उपरोक्त पर विधिवत विचार करने के बाद, कार्यकारी परिषद ने वित्त समिति एवं शैक्षणिक परिषद को सूचित किए जाने तथा इनके द्वारा अनुशंसा की शर्त पर 201 शिक्षण पदों के सृजन का अनुमोदन किया । यद्यपि, कार्यकारी परिषद द्वारा कार्य सूची मद संख्या 01:04 दिनांक 8 अगस्त 2008 के तहत पूर्व में दी गई स्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं होगा	नोट किया गया शैक्षिक परिषद ने दिनांक 22 मई 2009 को आयोजित बैठक में ई. सी द्वारा अनुमोदनार्थ शिक्षक पदों को कार्योत्तर स्वीकार एवं अनुशंसा

		क्योंकि नवसृजित 201 पदों को प्रभावित किया गया है । कार्यकारी परिषद ने आगे नोट किया कि विश्वविद्यालय को गुणत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में एकीकृत ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू करने में अतिरिक्त शिक्षण पदों की आवश्यकता होगी, परिषद ने ऐसे पदों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए वर्तमान योजना अवधि में अथवा योजना अवधि के तुरंत बाद आवश्यक होगा।	किया
ई.सी.:02:12	गैर शिक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर विचार करना।	कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति को उन गैर शिक्षण पदों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया , जैसा की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11वी योजना विधि के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यद्यपि, कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2008 की कार्यसूची मद संख्या 1:05 के तहत पूर्व में दी गई स्वीकृति निष्प्रभावी होगा , क्योंकि प्रस्तावित गैर शिक्षण पदों का सृजन एवं प्रभावी किया जाएगा।	नोट किया गया यू जी सी ने प्राथमिकता के आधार पर 20 गैर शिक्षण पदों का अनुमोदन किया है । अन्य गैर शिक्षण पदों के लिए स्वीकृति अपेक्षित है
ई.सी.:02:13	पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु चयन समिति की सदस्यता के प्रति व्यक्तियों को नामित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना।	तत्कालिकता की दृष्टि से एवं इस बात पर विचार करते हुए की नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा एवं सहमति आवश्यक है, उपकुलपति को कार्यकारी परिषद के पक्ष में उचित व्यक्तियों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।	नोट किया गया पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु चयन समिति की बैठक विजिटर द्वारा नॉमिनी के अभाव में विलंबित है

ई.सी.:02:14	परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति की सदस्यता के प्रति व्यक्तियों को नामित करने के प्रस्ताव पर विचार करना ।	तात्कालिकता की दृष्टि से एवं इस बात पर विचार करते हुए की नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा एवं सहमति आवश्यक होगी, उपकुलपति को कार्यकारी परिषद के पक्ष में उचित व्यक्तियों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।	नोट किया गया उपकुलपति ने प्रोफेसर एम आनंदकृष्णन प्रोफ़ेसर वी एस राममूर्ति एवं डॉक्टर के के पांडा की ई सी के नॉमिनी के रूप में चयन समिति के प्रति नामित किया।
ई.सी.:02:15	विश्वविद्यालय की सांविधियों की सांविधि 42 के अनुसार कार्यकारी परिषद के प्राधिकार का विश्वविद्यालय के आरंभिक चरणों में सुचारु संचालन हेतु किन्हीं संकटकालीन एवं अनिवार्य मुद्दों पर प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव पर विचार करना ।	कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति को पदों को विज्ञापित करने, चयन समितियों का गठन करने, विशेषज्ञों को नामित करने, तथा चयन समितियों की सर्वसम्मत अनुशंसाओं को अनुमोदित करने सदृश भर्ती हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा इस संबंध में आगे निर्णय लेने तक के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया तथा उपकुलपति द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई को कार्यकारी परिषद के सूचनार्थ इनकी अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।	आवश्यक कार्रवाई हेतु नोट किया गया
ई.सी.:02:16	कोई अन्य विषय	(घ)कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि सिक्किम एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण राज्य में विदेशियों के प्रवेश हेतु औपचारिकताओं का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य है । चूंकि विश्वविद्यालय में गुणता शिक्षा प्रदान करने में पर्याप्त संख्या में विदेशों से विद्वानों, शिक्षाविदों एवं छात्रों का प्रवेश संलग्न है अतः कार्यकारी परिषद ने भारत सरकार एवं सिक्किम सरकार से विश्वविद्यालय राज्य एवं देश के बृहत्तर हित में विदेश से विद्वानों , शिक्षाविदों एवं छात्रों का प्रवेश सुविधागम्य बनाने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया । (ड़) कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि	(क) आवश्यक कार्रवाई हेतु नोट किया गया। (ख) रू0 15 करोड़ की पूरी राशि सिक्किम सरकार के पक्ष में जारी की गई । सिक्किम सरकार से तत्काल भूमि हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है । (ग) इस मामले को वित्त समिति की 28.05.2009को

		यांग्यांग स्थित विश्वविद्यालय के स्थाई कैंपस हेतु भूमि सिक्किम सरकार द्वारा अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है ।सिक्किम विश्वविद्यालय ने सिक्किम सरकार के प्रति भूमि अधिग्रहण के लिए वांछित रू0 32 करोड़ के आकलित लागत में भारत सरकार की भागीदारी के 50% रू0 15 करोड़ उपलब्ध करवाया है । चूंकि 11वीं योजना में से 2 वर्ष अब तक बीत चुके हैं, अतः कार्यकारी परिषद ने सिक्किम सरकार से यांग्यांग में प्रस्तावित भूमि के यथाशीघ्र हस्तांतरण हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया। कार्यकारी परिषद ने चिंता व्यक्त की कि आवंटित धन को यदि व्यय नहीं किया गया तो यह अन्य राज्यों को अपवर्तित किया जा सकता है, जहां नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को भी भूमि के लागत कि भारत सरकार की भागीदारी की पूर्ण राशि सिक्किम सरकार को जारी करने की सलाह दी गई, ताकि शीघ्र अधिग्रहण एवं हस्तांतरण में सुविधा हो सके। (च) कार्यकारी परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय के शहरी कैंपस हेतु गंगटोक स्थित भूमि की खरीद के संबंध में उठाई गई आपत्तियों को नोट किया । कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि यह सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी होगा । यद्यपि विषय की अनिवार्यता एवं इस बात पर विचार करते हुए की यांग्यांग स्थित कैंपस की भूमि अभी भी हस्तांतरित किया जाना है, कार्यकारी परिषद ने गंगटोक में करीब 5 से 10 एकड़ भूमि खंड के शीघ्र प्रापण के अपने पक्ष पर, यहां तक कि विश्वविद्यालय	अधिसूचित बैठक हेतु कार्यसूची के अंतर्गत रखा गया है। (घ) उपकुलपति ने सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 12(3) के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, तथा इसकी रिपोर्ट ई. सी. को दिनांक 05 जून 2009 की बैठक में की गई ।

		निधि द्वारा भुगतान किए जाने की शर्त पर भी बल दिया तथा वित्त समिति से इस मुद्दे पर पुनर्विचार का अनुरोध किया । (छ) कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि 11 सदस्यों में से सिर्फ पांच सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरुप कोरम में कमी आई इसके लिए 7 सदस्यों की उपस्थिति वांछनीय थी। परिषद ने यह भी नोट किया कि ऊपर चर्चित मदें एवं मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण तथा विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है। उपस्थित सदस्यों ने उपकुलपति के ऊपर लिए गए निर्णयों के अनुपालन एवं कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में इसकी सूचना देने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 12 (3) के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर विचार करने का सुझाव दिया।	

अनुलग्नक -3

ई.सी.:03:06 दिनांक 22 मई 2009 को आयोजित शैक्षाणिक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त

सुक्ष्म कार्यसूची मदें

मद संख्या	विवरण
02:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित कहा गया
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं
02:02	निधन सूचना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं
02:03	सिक्किम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति का स्वागत
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा नोट किया गया
02:04	उपकुलपति द्वारा प्रेक्षण
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा नोट किया गया
02:05	शैक्षणिक परिषद की बैठक (17.10.2008) के कार्यवृत्त की पुष्टि
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा नोट किया गया
02:06	शैक्षणिक परिषद की बैठक (17.10.2008) पर ए टी आर
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा नोट किया गया
02:07	एस यू अधिनियम की धारा 28(1) एवं धारा 29(2) के तहत विश्वविद्यालय के स्कूलों, विभागों, केंद्रों ,हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के स्थापना एवं परिसमापन पर अतिरिक्त सांविधियों को बनाने में ई.सी. के निर्णय को नोट करना।
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने इस मुद्दे पर शैक्षणिक परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को नोट किया है । ई. सी. ने इच्छा व्यक्त की कि अतिरिक्त अध्यादेशों को कार्यकारी परिषद की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। कार्यकारी परिषद ने विशेष रूप से पाया कि विभागों को बंद अस्तित्व के रुप में रखा जाएगा तथा अंतर्शास्त्रीय लक्षणों को सदैव अनुरक्षित किया जाएगा । विभागों का स्कूलों के साथ संबंधों में उच्च स्तर की नमनियता अनुरक्षित की जाएगी । अध्यक्ष द्वारा यह उल्लेख किया गया की यू जी सी ने स्कूलों को धारित करने के विचार को उचित नहीं माना है । कार्यकारी परिषद की राय थी कि सिक्किम विश्वविद्यालय को अन्यत्र अनुसरण की जा रही वर्तमान प्रणालियों की कार्बन प्रति बनने की आवश्यकता नहीं है । ई.सी. ने स्कूलों को "प्रोग्राम" कहे जाने का सुझाव भी दिया । अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विभाग की अपवर्जिता अंतर्शास्त्रीय विचारों के प्रोन्नयन के लिए खतरनाक है। कार्यकारी परिषद की सामान्य राय यह थी कि यू जी सी किसी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों का सुक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता है, जबकि कोई विश्वविद्यालय विश्वस्तर का मानक प्राप्त करना चाहता है । कार्यकारी परिषद ने आगे बल दिया कि एकीकृत/ पी जी कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश बनाते समय निम्न प्रावधानों को निश्चित ही संलग्न किया जाए: ➢ अंतर्शास्त्रीय उन्मुक्तता ➢ विभिन्न विभागों द्वारा पाठ्यक्रमों की पुनरावृति से बचाव ➢ छात्रों एवं संकायों अन्य विभागों में जाने से गैर-अवरोध

	➢ सुनिश्चित किया जाए कि कोर एवं अन्य संकायों की संयुक्त नियुक्ति हो कार्यकारी परिषद ने इस बात पर भी अपनी प्रशंसा अभिलिखित किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय देश में एकमात्र विश्वविद्यालय है जोकि संबद्धन शुल्क की मांग नहीं करता है तथा सभी संबद्ध महाविद्यालयों के प्रति समग्र शैक्षणिक विकास हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध करता है।
02:08	ई.सी. द्वारा शिक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर लिए गए निर्णयों को नोट करना एवं विचार करना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने निर्णय को नोट किया तथा कार्योत्तर अनुमोदन किया।
02:09	उपकुलपति द्वारा निर्मित प्रथम अध्यादेशों को नोट एवं विचार करना तथा इन्हें केंद्र सरकार के प्रति अनुमोदनार्थ प्रेषित करना।
ई.सी. का निर्णय	ई.सी. ने वी. सी. द्वारा निर्मित प्रथम अध्यादेशों पर विचार एवं अनुमोदन किया तथा केंद्र सरकार को अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया एवं सलाह दी कि विश्वविद्यालय जी ओ आई द्वारा प्रेषित अभियुक्तियों पर अध्यादेशों को अनुमोदन किए जाने के दौरान कार्रवाई करें।
02:010	सिक्किम राज्य के नौ संबद्ध महाविद्यालयों को प्रदान किए गए संबंद्धन के नवीकरण हेतु प्रस्ताव पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक परिषद के निर्णय का अनुमोदन किया
02:11	शासकीय निकाय के सदस्यों की कार्यपद्धति एवं किसी महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा गैर अनुरक्षित एवं विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के प्रति नामांकित किसी संस्था के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों के लिए ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना।
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ ड्राफ्ट अध्यादेश का अनुमोदन किया: 1. शासकीय निकाय में सदस्यों की संख्या 11 होगी, जिनमें 7 आंतरिक सदस्य होंगे 2. बैठक का कोरम अध्यादेश में परिभाषित किया जाएगा 3. एस यू के नॉमिनी वी. सी. के प्रति एक गोपनीय टिप्पणी शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की समाप्ति पर देंगे। कार्यकारी परिषद ने निर्देश दिया कि इनके द्वारा किए गए संशोधनों से शैक्षणिक परिषद को सूचित किया जाए ।
02:12	महाविद्यालयों अथवा सरकार द्वारा गैर अनुरक्षित एवं विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के प्रति नामांकित किसी संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना।
ई.सी. का निर्णय	उपरोक्त मद पर ई.सी. कोई कार्रवाई नहीं थी ।
02:13	महाविद्यालयों अथवा संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के प्रति नामांकित करने के लिए अन्य शर्तों पर ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	उपरोक्त मद पर ई.सी. कोई कार्रवाई नहीं थी ।

02:14	निरीक्षण की समिति के गठन हेतु प्रस्ताव पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने इस मद पर विशेष रूप से विचार किया तथा निम्नलिखित प्रेक्षण किया: 1. इस अध्यादेश को ई.सी. के अनुमोदनार्थ पूर्व में ही लाया जाना चाहिए था। 2. समिति अनुसरण की जा रही पढ़ाई प्रक्रिया, पुस्तकालय किताबों की संख्या, संपर्क स्तर आदि पर संस्थानों के निरीक्षण के दौरान ध्यान देगी। 3. निरीक्षण हेतु उचित रूप से प्रकल्पित प्रारूप (एन ए ए सी) सदृश निरीक्षण दल को विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा । 4. विश्वविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि इसके पास यही एक उपाय है जिसके द्वारा निरीक्षित संस्थानों की नामांकन क्षमता को नियत किया जा सके , तथा इसे वैध डेटा के बिना बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 5. विश्वविद्यालय अतिशीघ्र एक गुणता आश्वासन कक्ष का निर्माण करेगा । निरीक्षण समिति का संगठन निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया था: **1. वी.सी. द्वारा नामित स्कूल का डीन - अध्यक्ष** **2. संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य - सदस्य** **3. वी.सी. द्वारा नामित एस यू का एक वरिष्ठ संकाय सदस्य - सदस्य** **4. सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य** **5. वी सी द्वारा नामित सिविल सोसाइटी का एक विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य** **6. विषय विशेषज्ञ का सहयोजन, जब कभी आवश्यक हो - सदस्य** उपरोक्त संशोधनों के साथ ई.सी. ने मद का अनुमोदन किया।
02:15	विभिन्न संस्थाओं/ पाठ्यक्रमों के संबद्धन के नए /विस्तार हेतु प्रस्ताव पर विचार करना।
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने कार्य सूची मद इस पर ए सी की अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की । यह निर्देश दिया कि: ➢ जो समिति निरीक्षण के लिए जाएगी, वह संस्थान से इस तथ्य की वचनबद्धता प्राप्त करेगी कि छात्रों से कोई भी प्रतिव्यक्ति शुल्क एवं अप्राधिकृत शुल्क संग्रहित नहीं किया जाएगा ➢ महाविद्यालय द्वारा संग्रहित प्रत्येक प्रकार का शुल्क एस यू द्वारा प्राधिकृत होगा ➢ समिति तकनीकी विवरणों की जांच के लिए विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है ➢ समिति में भारत के फार्मेसी कौंसिल आदि सदृश सांविधिक परिषद से एक विशेषज्ञ अवश्य होगा।
02:16	विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु शैक्षणिक कार्यक्रमों के लागू करने के प्रस्ताव पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	परिषद ने निर्देश दिया कि विभाग/स्कूल के नाम के पूर्व पाठ्यक्रम के नाम (बीएससी एमएससी आदि)का उल्लेख किया जाएगा । मनोवैज्ञानिक अध्ययन विभाग के मामले में “अध्ययन” शब्द को विलुप्त किया जाएगा

02:17	विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्चा विकास हेतु विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने सीडीसी की रिपोर्ट पर विचार किया तथा निम्नलिखित व्यक्त किया : ➢ पाठ्य चर्चा परिकल्पना में 100% भारिता वर्तमान समकालीनों को दी जाएगी ➢ सी डी, जहां कहीं आवश्यक हो, मूल्यवर्धित सुझाव देगी ➢ प्रकल्पित पाठ्य चर्चा में अंतरा-विश्वविद्यालय अंतर-संकाय ज्ञानों के अंतर्वेशन पर प्रकल्पण दौरान विचार किया जाएगा ➢ सिलेबस किसी भी समय एक निरर्थक भंडार नहीं होगा ➢ यू के में एवं अन्य देशों में यथा प्रचलित खुला विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा तथा ट्रांसफर क्रेडिट की अवधारणा पाठ्यचर्चा में लागू की जाएगी ।
02:18	पी जी नामांकन प्रक्रिया हेतु ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद की इस पर कोई कार्रवाई नहीं
02:19	अंडरग्रेजुएट नामांकन प्रक्रिया हेतु ड्राफ्ट अध्यादेश पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद की इस पर कोई कार्रवाई नहीं
02:20	यू जी एवं पीजी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर परिणाम पर विचार करना एवं सुधार पेपर लागू किए जाने के प्रस्ताव सहित सुधार हेतु प्रस्ताव पर विचार करना।
ई.सी. का निर्णय	इस कार्य सूची मद पर प्राप्त की गई पृष्ठभूमि स्थिति अध्यक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक स्पष्ट की गई । कार्यकारी परिषद ने वी सी द्वारा उचित समय पर किए गए प्रयासों एवं लिए गए निर्णयों की प्रशंसा की। ई.सी. ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर मॉडल पर तत्काल वापस जाएगा, क्योंकि छात्रों को समान शिक्षक द्वारा सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति तक सतत मूल्यांकन की अवधारणा एक नवीकरणीय अवधारणा है । ई.सी. ने पाया कि इस पर ध्यान देने की अपेक्षा विश्वविद्यालय प्रश्न पत्रों के केंद्रीकृत सेटिंग किए जाने की पुरानी प्रणाली पर लौट गया है । कार्यकारी परिषद ने परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जा रही मूल्यांकन प्रणाली का प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टर में क्रमिक तरीके से सघन अध्ययन करने तथा ई. सी. एवं ए.सी. के समक्ष सुधार हेतु ठोस सुझाव लाने का निर्देश दिया । विश्वविद्यालय किसी छात्र के मूल्यांकन में आरंभिक संकेतों तथा ग्रेडिंग कार्य के समान्यीकरण पर भी उचित समय पर ध्यान देगा। ई.सी. ने आगे बल दिया कि किसी शिक्षक का कार्य सिलेबस विवर्ण करना है ना कि इसे आवृत्त करना है।
02:21	विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विजिटिंग प्रोफेसरों, फेलो एवं एडजंक्ट प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	ई.सी. का इस पर कोई कार्रवाई नहीं थी ।
02:22	कोई अन्य विषय
ई.सी. का निर्णय	कोई अन्य विषय नहीं था

अनुलग्नक -4

दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त

मद संख्या	विवरण
01:01	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु वार्षिक बजट
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु वार्षिक बजट का इनके समक्ष यथा प्रस्तुत संपुष्टि की ।
01:02	निजी अभिकरणों एवं एन जी ओ से निधि संग्रहण
ई.सी. का निर्णय	ई.सी. वित्त समिति के निर्णय की संपुष्टि की, जिसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया ।
01:03	विश्वविद्यालय की अंशदायी भविष्य निधि
ई.सी. का निर्णय	ई.सी. की इस मद पर कोई कार्रवाई नहीं थी ।
01:04	विश्वविद्यालय के वित्तीय नियमावली का कोडीकरण
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:05	लेखा शीर्षों का कोडीकरण
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:06	लेखांकन नीतियां
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:07	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक लेखाएं
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:08	सांविधि निकायों/चयन समिति आदि के बाह्य सदस्यों के प्रति बैठक भत्ता का निर्धारण
ई.सी. का निर्णय	कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसे ई.सी. ने अपने अगस्त 2008 की बैठक में ही अनुमोदित किया है ।
01:09	शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों पर संवीदा के आधार पर नियुक्ति
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:10	नियमित एवं संविदाजन्य कर्मचारियों के प्रति नियत चिकित्सा भत्ता का भुगतान
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:11	गंगटोक स्थित भूमि का अधिग्रहण
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. की वर्त्तमान में इस मद पर कोई कार्रवाई नहीं
01:12	विश्वविद्यालय में कैफेटेरिया के प्रति आर्थिक सहायता
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:13	सावधिक परिसंपत्तियों का कोडीकरण
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. की इस मद पर कोई कार्रवाई नहीं थी
01:14	एक्सिस बैंक के साथ इन्टरनेट बैंकिग सुविधाएं
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. की इस मद पर कोई कार्रवाई नहीं थी

01:15	महाविद्यालयों को इन्फ्रा क्चर सहायता
ई.सी. का निर्णय	कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि यह विलंबित मद था
01:16	शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों का सृजन
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. ने कार्यसूची के मद की संपुष्टि की
01:17	वित्त अधिकारी द्वारा लेखाओं का प्रचालन
ई.सी. का निर्णय	ई. सी. की इस मद पर कोई कार्रवाई नहीं थी
01:18	कोई अन्य विषय
ई.सी. का निर्णय	कोई अन्य विषय नहीं था

अनुलग्नक -5

प्रथम वित्त समिति की दिनांक 28 मई 2009 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

मद संख्या	विवरण
02:01	प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं
02:02	पिछली बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं
02:03	विश्वविद्यालय का वर्ष 2008-09 हेतु वार्षिक लेखाओं पर विचार एवं अंगीकृत किया जाना ।
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने वर्ष 2008-09 हेतु वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया
02:04	कार्यकारी परिषद द्वारा शिक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्तव पर लिए गए निर्णय को नोट करना एवं इस पर विचार करना ।
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं
02:05	गैर शिक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर विचार करना।
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने इसका अनुमोदन किया
02:06	विश्वविद्यालय के शहरी कैंपस हेतु गंगटोक स्थित भूमि के क्रय की पुनरीक्षा करना एवं इस पर विचार करना
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने इस शर्त्त के साथ अनुमोदन किया कि प्रस्ताव हेतु अंतिम सहमति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ली जाएगी
02:07	महाविद्यालयों को इन्फ्रा क्चर सहायता
ई.सी. का निर्णय	इस मद का कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। अनुमोदन करते हुए ई.सी. ने निम्नलिखित बिंदुएं दी ➢ विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को ऐसी सहायता के प्रावधान हेतु उचित मार्गदर्शनों के साथ आएगा। ➢ विश्वविद्यालय एक परियोजना दस्तावेज भी बनाएगा, जिसमें किसी विशिष्ट समयावधि के लिए इनके सभी प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाएगा ➢ विश्वविद्यालय उचित प्रदाता अभिकरणों से भी महाविद्यालयों के प्रति इन्फ्रा क्चर की निधि प्रदत्ता हेतु संपर्क कर सकता है
02:08	सांविधिक अधिकारियों के मामले में कार्यभार ग्रहण करने एवं त्याग करने में टी टी ए की प्रतिपूर्ति
ई.सी. का निर्णय	विलंबित मद होने के कारण ई.सी. की इस पर कोई कार्रवाई नहीं थी।
02:09	परीक्षा कार्य के पारिश्रमिक एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों के लिए सीमा निर्धारण
ई.सी. का निर्णय	विलंबित मद होने के कारण ई.सी. की इस पर कोई कार्रवाई नहीं थी।
02:10	वर्ष 2008-09 हेतु अंतिम व्यय बनाम बजट आकलनों पर विचार एवं संपुष्टि

ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद इस कार्यसूची मद की संपुष्टि की
02:11	शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रति दिनांक 01.04.2009 से लागू संशोधित परिलब्धियों पर विचार एवं संपुष्टि करना ।
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद इस कार्यसूची मद की संपुष्टि की
02:12	अति व्यय एवं अव्ययित शेष
ई.सी. का निर्णय	कार्यकारी परिषद ने इस मद को नोट किया
02:13	कोई अन्य विषय
ई.सी. का निर्णय	कोई अन्य विषय नहीं था